न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 128/2020(2020/00162)

अनवान : –

1. श्रवण कुमार पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. टीकूराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री टीकूराम जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. मंजू पुत्री टीकूराम जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
4. बिरमा पुत्री टीकूराम जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र पचार **वादी**
श्री कृष्ण भारी **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 13 एएमएस के खाता संख्या 56/58 के मु0न0 13 के किला न0 16 ता 20, 21/1, 22 ता 25 मु0 न0 18 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.098 हैक्टेयर नहरी 5.922 है0 खाला 0.176 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 टीकूराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा अमीलाल की खातेदारी हुआ करती थी। अमीलाल से वादभूमि जो प्रतिवादी टीकूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी टीकूराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी टीकूराम के नाम होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की सहदायिकी सम्पत्ति है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 टीकूराम को वादी के दादा अमीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है, जो चक 13 एएमएस जमबान्दी सम्वत 2016 खाता संख्या 6 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहिनें हैं, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी श्रवण कुमार पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी साहूवाला के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 13 एएमएस सम्वत 2072–75 खाता संख्या 55/58 प्रदर्श 1, जमाबन्दी खतौनी चक 13 एएमएस सम्वत 2033 खाता संख्या 6 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत साहूवाला के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 13 एएमएस के खाता संख्या 56/58 के मु0न0 13 के किला न0 16 ता 20, 21/1, 22 ता 25 मु0 न0 18 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.098 हैक्टेयर नहरी 5.922 है0 खाला 0.176 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 टीकूराम के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 एएमएस के खाता संख्या 56/58 के मु0न0 13 के किला न0 16 ता 20, 21/1, 22 ता 25 मु0 न0 18 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.098 हैक्टेयर नहरी 5.922 है0 खाला 0.176 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 टीकूराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी श्रवण कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 टीकूराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी [illegible]

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:46 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़